न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

निग – 2389 – PBR-16

नवलसिंह पिता जादूसिंह जाति राजपूत
धन्धा खेती निवासी–ग्राम सगड़ी
तह.व जिला धार म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. प्रेमसिंह पिता रूगनाथसिंह जाति राजपूत
निवासी–ग्राम सगड़ी तह. व जिला धारम0प्र0
2. कुन्दनसिंह पिता जादूसिंह जाति राजपूत
निवासी–ग्राम सगड़ी तह. व जिला धार
3. विक्रमसिंह पिता जादूसिंह जाति राजपूत
निवासी–ग्राम सगड़ी तह. व जिला धार म0प्र0
4. बबलू पिता विक्रमसिंह जाति राजपूत
निवासी–ग्राम सगड़ी तह. व जिला धार म0प्र0 ....विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 भू.रा.सं. 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में अत्यन्त विनम्रता से अर्ज है कि यथाकथित प्रेमसिंह जिसका एक्जीसटेंस मेरी निजी जमीन में नही है प्रेमसिंह नवीन मार्ग चाहता है नवलसिंह के पीठ पीछे कार्यवाही करता है स्वयं पटवारी हाजा ने रिपोर्ट दी है ; कि पूर्व में सर्वे नं. 124/2/2 व 124/2/1 व 85 में से कोई रास्ता सर्वे नं. 126 के लिये नहीं है ना ही कोई रास्ता था ना रिकार्ड में है । इस संबंध में पंचनामा पूर्व में पटवारी हाजा द्वारा दे दिया गया है जो पूर्व से रिकार्ड पर है लेकिन कोई अर्जी देकर बिना हमें सूचना दिये दिनांक 30/06/2016 को मेरे पीठ पीछे रिपोर्ट स्थल निरीक्षण संबंधी तहसीलदार महोदय द्वारा अपने प्रकरण कमांक 16/अ–13/2013–14 (जिसका नवीन नंबर 03/अ–13/2015–16) है जिसमें मेरी पीठ पीछे तहसीलदार महोदय (टप्पा नालछा) धार द्वारा बिना मुझे सूचना दिये हमारे पीठ पीछे जो पंचनामा दिनांक 30/06/2016 को बनाया है वह अवैध है पूर्व में प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट व पंचनामों के विरूद्ध है । ऐसे पंचनामे देने का विधिक अधिकार तहसीलदार महोदय को हमारे पीठ पीछे देने का नहीं है ना स्थल निरीक्षण हमारी गैर मौजूदगी में करने का है ऐसी दशा में उक्त पंचनामे से असंतुष्ट होकर यह वर्तमान निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है –

निरन्तर..........2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2389-पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधंन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	